कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक– 1244 /सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 लखनऊ : दिनांक– 16 सितम्बर, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक–906/सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 दिनांक– 27–5–2009 द्वारा अध्यासी, समस्त चीनी मिल, उत्तर प्रदेश से उ0प्र0गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12 (1) के अन्तर्गत पेराई सत्र 2009–10 हेतु चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई थी । उत्तर प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना दिनांक–30–6–2009 तक इस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई । अतः पेराई सत्र 2009–10 में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की आवश्यकता हेतु प्रेषित सूचनाओं का सम्यक परीक्षण एंव विश्लेषण करके उनकी गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1– **वे पुरानी चीनी मिलें, जिन्होंने अपनी पेराई क्षमता का विस्तार नहीं किया है :–**

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित गन्ना आवश्यकता में से परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन में हुई कमी का प्रतिशत घटाते हुए अथवा चीनी मिल की पेराई क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए निम्न प्रकार आंकलन किया जायेगाः–

पेराई सत्र 2009–10 के लिए गन्ने की आवश्यकता = पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित गन्ना आवश्यकता * — पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में हुई कमी का प्रतिशत **

अथवा

चीनी मिल की पेराई क्षमता का 50 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन

उक्त दोनों में से जो भी अधिक होगा वह उनकी पेराई सत्र 2009–10 हेतु गन्ने की आवश्यकता मानी जायेगी ।

<u>2– वे पुरानी चीनी मिलें, जो विगत वर्षो में बन्द रही हैं, तथा पेराई सत्र 2008–09 में पेराई कार्य प्रारम्भ करने जा रही है :–</u>

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में कुल की गई गन्ने की पेराई का दैनिक औसत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन में हुई कमी के प्रतिशत को घटाकर अथवा चीनी मिल की पेराई क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए आंकलन निम्न प्रकार किया जायेगाः–

पेराई सत्र 2009–10 के लिए गन्ने की आवश्यकता = अन्तिम बन्दी के पेराई सत्र में कुल की गई गन्ना पेराई का दैनिक औसत X 180 अथवा 160 दिन — पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में हुई कमी का प्रतिशत **

अथवा

चीनी मिल की पेराई क्षमता का 50 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन

उक्त दोनों में से जो भी अधिक होगा वह उनकी पेराई सत्र 2009–10 हेतु गन्ने की आवश्यकता मानी जायेगी ।

अग्रेतर ऐसी चीनी मिल के सम्बन्ध में न्यायिक/अर्द्धन्यायिक संस्था के आदेशों को भी संज्ञान में लिया जायेगा ।

<u>3– वे पुरानी चीनी मिलें, जिन्होंने 2008–09 में पेराई सत्र के दौरान या पेराई सत्र 2008–09 के समाप्त होने के बाद अपनी पेराई क्षमता का विस्तार किया है :–</u>

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण उनकी पेराई क्षमता विस्तार की जांच के लिए इस कार्यालय के आदेश संख्या–1110/सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 दिनांक–20–7–2009 द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अपर गन्ना आयुक्त (विकास) मुख्यालय, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, प्रधान प्रबन्धक, (शर्करा तकनीकी) उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ एवं प्रधान प्रबन्धक, (तकनीकी) उ0प्र0सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ को चीनी मिलों के विस्तारीकरण प्रस्तावों के परीक्षण हेतु अधिकृत करते हुए, निर्देशित किया गया था कि वे प्रस्तावों की

विधिवत् जांच कर अपनी जांच आख्या/संस्तुति अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगें । गठित कमेटी द्वारा विस्तारीकरण प्रस्तावों की जांच कर, अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसका विश्लेषण करने के उपरान्त सन्दर्भित चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना अथवा चीनी मिल की पेराई क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा :–

पेराई सत्र 2009–10 के लिए गन्ने की आवश्यकता = (पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित गन्ना आवश्यकता * + विस्तारित पेराई क्षमता का 80 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन) — पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में हुई कमी का प्रतिशत **

अथवा

(चीनी मिल की मूल पेराई क्षमता +विस्तारित पेराई क्षमता का 80 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन

उक्त दोनों में से जो भी अधिक होगा वह उनकी पेराई सत्र 2009–10 हेतु गन्ने की आवश्यकता मानी जायेगी ।

4– वे चीनी मिलें, जिन्होंने पेराई सत्र 2008–09 में ट्रायल किया है, एवं वर्ष 2009–10 में द्वितीय पेराई सत्र प्रारम्भ करने जा रही है :–

इस श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण क्रमांक–1 के अनुसार आगणित करते हुए, अथवा उनकी निर्धारित पेराई क्षमता के 80 प्रतिशत की क्षमता के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन में हुई कमी के प्रतिशत को घटाकर अथवा चीनी मिल की पेराई क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए आंकलन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

पेराई सत्र 2009–10 के लिए गन्ने की आवश्यकता = पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित गन्ना आवश्यकता * — पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में हुई कमी का प्रतिशत **

<u>अथवा</u>

पेराई सत्र 2009–10 के लिए गन्ने की आवश्यकता = (चीनी मिल की पेराई क्षमता का 80 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन) — पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में हुई कमी का प्रतिशत **

<u>अथवा</u>

चीनी मिल की पेराई क्षमता का 50 प्रतिशत X 180 अथवा 160 दिन

उक्त तीनों में से जो भी अधिक होगा वह उनकी पेराई सत्र 2009–10 हेतु गन्ने की आवश्यकता मानी जायेगी ।

<u>5– वे नई चीनी मिलें, जो पेराई सत्र 2009–10 में प्रथमबार पेराई कार्य प्रारम्भ करेगीं :–</u>

इस श्रेणी की चीनी मिलों का प्रथमबार ट्रायल सत्र होने के कारण चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र प्रारम्भ करने की सम्भावित तिथि, आई0ई0एम0 में अंकित पेराई क्षमता, अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण पेराई क्षमता के 80 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन में हुई कमी के प्रतिशत को घटा कर आंकलन किया जायेगा अथवा पेराई क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 180 दिन तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए 160 दिन कार्यदिवस की गणना करते हुए ,इनमें से जो भी अधिक हो उस आधार पर आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा।

उपरोक्त क्रमांक–1, 2, 3, 4 व 5 पर आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा ।

गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ने की आवश्यकता निर्धारण के विरूद्ध प्रभावित पक्ष को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12 (3) तथा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–23 (ए) के अन्तर्गत उ0प्र0शासन में अपील करने का प्राविधान है ।

***वह आवश्यकता जो गन्ना आयुक्त अथवा शासन अथवा मा0 न्यायालयों द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित की गई ।**

****परिक्षेत्रवार गन्ना उत्पादन (Estimated) में कमी के प्रतिशत का तात्पर्य यह है कि पेराई सत्र 2008–09 की तुलना में पेराई सत्र 2009–10 में परिक्षेत्रवार (Range) गन्ना उत्पादन में कमी का प्रतिशत**

(सुधीर एम.बोबडे)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन– 1244 /सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 लखनऊः दिनांक– 16 सितम्बर, 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– अध्यासी, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
2– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0,लखनऊ ।
3– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ।
4– समस्त.क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से उक्त सूचना सर्वसम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
5– सचिव,उ0प्र0 शुगर मिल्स एसोसियेशन,चिन्टल हाऊस, लखनऊ ।
6– निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ,कानपुर ।
7– तकनीकी सलाहकार, राज्य चीनी निगम लि0 एंव सहकारी चीनी मिल संघ लि0,लखनऊ।
8– प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन, चीनी उद्योग एंव गन्ना विकास विभाग,बापू भवन,लखनऊ ।
9– मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त(क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त,उ0प्र0।